रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 1967/आश्विन 11, 1889

No. 156] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 1967/ASVINA 11, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली 26 सितम्बर, 1967

सं० 19 (15) प्लांट (बी) '67:—सरकार ने टैरिफ आयोग से अनुरोध किया था कि स्वदेशी कच्चे रबड़ की उत्पादन लागत की जांच करे और सरकार को उस उचित मूल्य की सिफारिश करे जो कच्चे रबड़ के लिए दिया जाना चाहिए। आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि आर० एम० ए० ग्रेड 1 के रबड़ के लिये कोचीन में जहाज तक निःशुल्क 4150/- रुपए प्रति मैट्रिक टन विक्रय मूल्य उचित होगा। भारत सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है।

2. कच्चे रबड़ के मूल्य के प्रश्न पर विचार करते समय सरकार ने अनुभव किया है कि रबड़ के छोटे उत्पादकों को आर्थिक अर्थ-क्षमता में सुधार के लिये कुछ तत्काल सहायता की आवश्यकता है। इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में जिन छोटे रबड़ उत्पादकों के पास दो हैक्टर तक के बागान हैं उनको 175 रु० प्रति हैक्टर नकद सहायता और जिनके पास दो हैक्टर से अधिक तथा 4 हैक्टर तक के बागान हैं उनको 150 रु० प्रति हैक्टर की नकद सहायता देने का विचार है।

3. सरकार का विचार है कि छोटे उत्पादकों को पर्याप्त प्रतियोगिता शक्ति प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए जिससे कि वे यथा शीघ्र अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सरकार ने एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है जो इन छोटे बागानों की अर्थ-व्यवस्था का गहन अध्ययन करेगी और इस क्षेत्र में, कार्य कुशलता में सुधार तथा स्थिरता लाने के निमित्त अपेक्षित सहायता सम्बन्धी उपायों के बारे में सुझाव देगी।

4. समिति, उन अन्य मामलों के साथ साथ जिन पर वह इस सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक समझे, निम्नलिखित पर भी विचार करेगी :—

(1) उन विविध प्रकार की सहायता का ध्यान रखेगी जो छोटे उत्पादकों को रबड़ बोर्ड द्वारा पहले ही दी जा रही है और विचार करेगी कि क्या इस क्षेत्र को किसी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, यदि हो तो वह सुझाव देगी कि इस प्रकार सहायता किस रूप में और किस सीमा तक दी जानी चाहिए तथा इस प्रकार की सहायता किसी अवधि तक जारी रखी जानी चाहिए ;

(2) सरकार द्वारा स्वीकार किए गये कच्चे रबड़ के उचित विक्रय मूल्य के आधार पर छोटे उत्पादकों अर्थ-क्षमता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के हेतु अपेक्षित अन्य उपायों के सम्बन्ध में विचार करेगी तथा सरकार को परामर्श देगी ; और

(3) लघु क्षेत्र में स्थिरता लाने में सहकारी समितियों के योगदान के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देगी।

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(1) श्री टी० एम० अब्दुल्ला, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, रहमत बाग, कण्णनूर (केरल) — अध्यक्ष

(2) अतिरिक्त सचिव, कृषि विभाग, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम्। — सदस्य

(3) श्री मेथ्यू मण्यांगदन, सदस्य
(भूतपूर्व संसद् सदस्य),
कोट्टयम (केरल)।

(4) श्री चेरियन कम्पन, सदस्य
(भूतपूर्व संसद् सदस्य),
पालै केरल।

(5) श्री पी० एस० हबीब मुहम्मद, सदस्य
अध्यक्ष रबड़ बोर्ड,
कोट्टयम (केरल)।

5. समिति अपना प्रतिवेदन छः महिने की अवधि के अन्दर सरकार को दे देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० सी० अलक्साण्डर, संयुक्त सचिव।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967